[2018] 6 **SCR** 962

बिहार राज्य एवं अन्य।

बनाम

मैसर्स ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 3344/2018)

मार्च 22, 2018

[आदर्श कुमार गोयल, आर. एफ. नरीमन और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, *1996*–धारा *11(6)* – बिहार लोक निर्माण संविदा मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, *2008*– धारा *8, 9* और *22*– कार्य अनुबंध – मध्यस्थता राज्य धारा *11 (6)* के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति से व्यथित है *)* मध्यस्थता और सुलह अधिनियम *(*केंद्रीय अधिनियम*)* के इस आधार पर कि उक्त अधिनियम को बिहार लोक निर्माण अनुबंध मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम *(*राज्य अधिनियम*)* द्वारा बाहर रखा गया है*:* राज्य की उपधारा.*8, 9* और *22* की योजना अधिनियम से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने वाले समझौते के अभाव में, राज्य अधिनियम कार्य अनुबंधों पर लागू होता है – चूंकि, तत्काल मामले में, एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है और केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करता है, राज्य अधिनियम लागू नहीं होगा – हालाँकि, यदि तटस्थता की आपत्ति पर इस आशय का मामला बनता है, तो अपीलकर्ता –राज्य मध्यस्थ को बदलने के लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए मुक्त होगा।

बिहार लोक निर्माण संविदा मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, *2008* – धारा *4(3)(*बी*)* की संवैधानिकता*:* धारा *4(3)(*बी*),* जो प्रदान करती है – कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल सरकार की इच्छा पर होगा, संवैधानिक योजना, विशेष रूप से संविधान के धारा *14* के साथ असंगत है। – अधिनियम की धारा *4(1)* में तीन वर्ष के कार्यकाल या *70* वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, का प्रावधान है – उक्त कार्यकाल की समाप्ति निर्धारित अवधि के भीतर नहीं की जा सकती क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अर्ध निष्पादित किए जाने वाले न्यायिक कार्य – विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे सदस्य की सेवा की समाप्ति सीधे तौर पर ऐसे सदस्य से अपेक्षित निष्पक्षता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी – इस प्रकार, उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है और कानून के नियम के विपरीत है। उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया – भारत का संविधान – अनुच्छेद *14* – कार्य अनुबंध।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 3344

2016 के अनुरोध मामले संख्या 45 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.03.2017 से उत्पन्न।

साथ में,

सी. ए. नंबर 3345/2018।

नमन नागरथ, राजीव धवन, कु. मीनाक्षी अरोड़ा, पराग पी. त्रिपाठी, कु. विभा दत्ता मखीजा, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुरुषइंद्र कौरव, ए.जी., हर्ष पाराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडेय, प्रतीक खंडेलवाल, शादान फरासत, अर्जुन गर्ग, प्रशांत कुमार, सौरभ सुमन सिन्हा, आदित्य देव टी., मेसर्स.एपी एंड जे चैंबर्स, राहुल नारायण, शाश्वत जी., सुश्री। रेणुका साहू, जसदीप सिंह ढिल्लों, जय सावला, श्रीधर पोतराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार, पेटल चंडोक, उदय खन्ना, ऋषभ कपूर, प्रियश शर्मा, सुश्री. आभा आर. शर्मा, सुश्री. दिशा वैश्य, डी.एस. परमार, सुश्री. सुजीता श्रीवास्तव, हर्षपाराशर, वरुण अमर, शांतनु कृष्णा, अजीम एच. लस्कर, सचिन दास, चंद्र भूषण प्रसाद, शिवम सिंह, अपूर्वा श्रीवास्तव, सुश्री सुगंधा बत्रा, रंजन कुमार पांडे, चंदन कुमार, अर्जुन गर्ग, जय सावला, सुश्री. रेनुका साहू, जसदीप सिंह ढिल्लन, प्रभात चौरसिया, सुश्री. हेमन्तिका वाही, प्रीतेश कपूर, कु. विशाखा, के. कृष्ण कुमार, मिश्रा सौरभ, कु. स्वरूपमा चतुवेर्दी, कु. अनुराधा मिश्रा, अंकित लाल, वरुण मोहन, अंकित क्र. लाल, रविन दुबे, सुधांसु पाल, नीलाव बंधोपाध्याय, प्रतीक खन्ना, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. अनुमति स्वीकृत। हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

2. राज्य मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति से इस आधार पर व्यथित है कि उक्त अधिनियम को बिहार लोक निर्माण संविदा मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 द्वारा बाहर रखा गया है। (बिहार अधिनियम 21, 2008) (राज्य अधिनियम)।

3. उठाई गई याचिका का मूल्यांकन करने के लिए, राज्य अधिनियम की योजना का उल्लेख करना आवश्यक है जैसा कि कुछ प्रमुख प्रावधानों में दर्शाया गया है। राज्य अधिनियम की धारा 8, 9 और 22 इस प्रकार हैं:

"8. अधिनियम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त होगा – इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, और प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त और पूरक होंगे और यदि कोई प्रावधान शामिल है इसमें मध्यस्थता अधिनियम के साथ विरोधाभासी माना जाता है, तो बाद वाला अधिनियम विवाद की सीमा तक प्रभावी होगा।

9. ट्रिब्यूनल का संदर्भ और निर्णय देना.–(1) जहां अनुबंध के पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी पक्ष, चाहे ऐसे अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल हो या नहीं, उस तारीख से एक वर्ष के भीतर संदर्भित करेगा। विवाद उत्पन्न हो गया है, ऐसे विवाद को ऐसे प्रारूप में मध्यस्थता के लिए ट्रिब्यूनल को लिखित रूप में और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सबूतों और ऐसी फीस के साथ, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप–धारा (10) के तहत एक संदर्भ प्राप्त होने पर, ट्रिब्यूनल, यदि ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है जिसे वह करना उचित समझ सकता है, कि संदर्भ के संबंध में इस अधिनियम के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो ऐसे संदर्भ को स्वीकार कर सकता है और जहां ट्रिब्यूनल इतना संतुष्ट नहीं है, वह संदर्भ को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है।

(3) जहां ट्रिब्यूनल उप–धारा (2) के तहत संदर्भ को स्वीकार करता है, वह, यर्दि आवश्यक हो तो साक्ष्य दज करने के बाद, और रिकॉर्ड पर सामग्री के अवलोकन के बाद और पार्टियों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने के बाद, एक पंचाट देगा। या एक अंतरिम पंचाट, उसके कारण बताते हुए।

(4) ट्रिब्यूनल अपने द्वारा स्वीकार किए गए संदर्भ में प्रवेश करने और आगे बढ़ने और पंचाट देने में सभी उचित प्रेषण का उपयोग करेगा, और उस तारीख से चार महीने के भीतर पंचाट देने का प्रयास किया जाएगा जिस दिन ट्रिब्यूनल ने संदर्भ स्वीकार किया था ।

(5) ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया अंतरिम पंचाट सहित पंचाट, धारा–12 या 13 के तहत दिए गए किसी आदेश के अधीन होगा, अंतिम होगा और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(6) धारा–12 या 13 के तहत दिए गए आदेश, यदि कोई हो, द्वारा पुष्टि या परिवर्तन के रूप में अंतरिम पंचाट सहित एक पंचाट को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा–2 के अर्थ के भीतर एक डिक्री माना जाएगा। स्थानीय सीमाओं के भीतर मूल क्षेत्राधिकार का मुख्य न्यायालय जहां पंचाट या अंतरिम पंचाट दिया गया है और तदनुसार निष्पादित किया जाएगा।

22. इस अधिनियम का अधिभावी प्रभाव – इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किए गए किसी भी अन्य कानून, नियम, आदेश, योजना या अनुबंध समझौते में शामिल किसी भी चीज़ के बावजूद, इस अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित कोई भी विवाद इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत विनियमित किया जाएगा, और किसी भी अनुबंध समझौते में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति का इस अधिनियम के दायरे से किसी भी विवाद को बाहर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पार्टियों ने 22 जून, 2012 को एक समझौता किया है, जिसमें केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान है। उक्त समझौते के खंड 25 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी और उसके तहत बनाए गए नियम उस समय लागू होने वाले मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होंगे।"

5. राज्य अधिनियम की धारा 8,9 और 22 की योजना से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने वाले समझौते की अनुपस्थिति में, राज्य अधिनियम कार्य अनुबंधों पर लागू होता है। चूंकि वर्तमान मामलों में, एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है और केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करता है, राज्य अधिनियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

6. अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, यह अपीलकर्ता–राज्य के लिए खुला होगा कि वह मध्यस्थ को बदलने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है, यदि इस आशय का मामला तटस्थता की आपत्ति पर बनाया गया है, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

7. इस आदेश का निपटान होने से पहले, हम प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अनुरोध पर विचार करना उचित समझते हैं कि राज्य अधिनियम की धारा 4(3)(बी) स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। उक्त अनुभाग इस प्रकार है:

"धारा 4. ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें:–

(3)(बी) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य सरकार की इच्छानुसार पद धारण करेंगे, बशर्ते कि;
समय से पहले सेवामुक्ति के मामले में
; वे मुआवजे के बदले तीन महीने के वेतन और भत्ते के हकदार होंगे।"

8. हमारा विचार है कि यह प्रावधान कि सरकार की इच्छा पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल संवैधानिक योजना, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत है। राज्य अधिनियम की धारा 4(1) तीन वर्ष के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, का प्रावधान करती है। उक्त कार्यकाल की समाप्ति निर्धारित अवधि के भीतर नहीं की जा सकती क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अर्ध न्यायिक कार्य करने होते हैं। विवाद के किसी पक्ष द्वारा ऐसे सदस्य की सेवा समाप्त करने से ऐसे सदस्य से अपेक्षित निष्पक्षता और स्वतंत्रता में सीधे हस्तक्षेप होगा। इस प्रकार, उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना और कानून के शासन के विपरीत है। तदनुसार, हम उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हैं।

अपीलें खारिज।

Translated By:
Rang Nath Tripathi
Advocate